रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 29, 2016/फाल्गुन 10, 1937
No. 130] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 29, 2016/PHALGUNA 10, 1937

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2016

सा.का.नि. 200(अ).—दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संगठित तकनीकी समूह 'क', केंद्रीय सेवाओं के सेवा नियमों से संबंधित अधिसूचना, जो दिनांक 31.03.2015 को भारत के राजपत्र के भाग-II खंड-3, उप-खंड (1) अंक सं. 238 (ड.) में प्रकाशित की गई थी, में अधिक आंशिक संशोधन करने के लिए **सहायक बेतार सलाहकार/प्रभारी अभियंता (एसटीएस)** के लिए दिनांक 31.03.2015 को अधिसूचित आईआरआरएस नियमों की **अनुसूची**- III **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति** के **कॉलम-5** में दिए गए **नोट** को निम्नलिखित नोट से प्रतिस्थापित किया जाए:

नोट : तथापि इन नियमों की अधिसूचना जारी होने की तारीख को इस सेवा के ऐसे जेटीएस अधिकारी जो इंजीनियर के ग्रेड में पद पर हों और उनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से रेडियो संचार/इलेक्ट्रॉनिक्स/दूरसंचार विषय सहित दूरसंचार इंजीनियरी/इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी में कम से कम डिप्लोमा अथवा समकक्ष अर्हता अवश्य हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से भौतिकी एवं गणित विषय के साथ विज्ञान में स्नातक डिग्री हो, वे इस सेवा के एसटीएस ग्रेड में सहायक बेतार सलाहकार/प्रभारी अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए विचार करने हेतु पात्र बने रहेंगें।

2. दिनांक 31.03.2015 की अधिसूचना की शेष अंतर्वस्तु अपरिवर्तित रहेगी।

[सं. ए-12018/1/2013-प्रशा-II]

अमित यादव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

CORRIGENDUM

New Delhi, 9th February, 2016

G.S.R. 200(E).—In partial modification to the notification regarding Service Rules for the organised Technical Group 'A', Central Services in the Department of Telecommunications, Ministry of Communications and Information Technology, published in Gazette of Indian in part II Section 3 sub-section (i) Issue No. 238(E) dt. 31.03.2015, **Note** Contained in **Col. 5** of the **Schedule–III–Appointment by promotion** of the notified **IRRS Rules, dt. 31.03.2015** for the **Assistant Wireless Adviser/Engineer–In–Charge (STS)** may be replaced by the following note:-

Note : The JTS Officers of the Service in the grade of Engineer holding the post on the date of notification of these Rules and possessing at least Diploma in Telecommunication engineering/Electrical Engineering with Radio Communication/Electronics/Telecommunication as a subject from a recognized University/Institute or equivalent, OR Bachelors' Degree in Science with Physics and Mathematics as a subject from a recognized university/institute, shall however continue to be eligible for considering promotion to Assistant Wireless Adviser/Engineer–in–Charge the STS grade of the Service.

2. The other contents in the notification dt. 31.03.2015 will remain unchanged.

[No. A-12018/1/2013-Admn. II]

AMIT YADAV, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.